भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2288
दिनांक 12.02.2026 को उत्तर के लिए नियत

एमएसएमई विनिर्माण को बढ़ावा देना

2288. श्री अमरसिंह टिस्सोः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने मौजूदा औद्योगिक विकास योजनाओं के तहत असम के कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ जैसे आकांक्षी और आदिवासी जिलों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम विनिर्माण इकाइयों को बढ़ावा देने का विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो इन जिलों के लिए प्राप्त, अनुमोदित या विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए बुनियादी ढांचे, रसद और कौशल अंतराल को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ग): भारत सरकार मौजूदा औद्योगिक विकास स्कीमों के माध्यम से असम में कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ जैसे आकांक्षी और आदिवासी जिलों सहित देश भर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम विनिर्माण इकाइयों को बढ़ावा दे रही है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय अवसंरचना, लॉजिस्टिक्स और कौशल कमी का समाधान करने के लिए विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ; पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) और सिक्किम में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित स्कीम, सूक्ष्म और लघु उद्यम - क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), एमएसएमई कार्य-निष्पादन का उत्थान और गतिवर्धन (रैम्प) कार्यक्रम, उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम और इस मंत्रालय की एमएसएमई चैंपियंस स्कीमें शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र की सहायता करने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों की विभिन्न अन्य स्कीमें यथा उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकीकरण स्कीम (उन्नति-2024), पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास स्कीम (एईआईडीएस), 2017, प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम स्कीम (पीमएफएमई) का औपचारीकरण आदि हैं।

इसके अलावा, असम सरकार औद्योगिक और निवेश नीति, 2019 और इसके संशोधन तथा असम स्टार्ट-अप और नवाचार नीति, 2025 और असम राज्य बांस मिशन (एएसबीएम) को क्रियान्वित कर रही है।

(ख) असम के कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ जिले के संबंध में प्राप्त, अनुमोदित या विचाराधीन प्रस्तावों का विवरण निम्नानुसार है:

I. इस मंत्रालय की "पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) और सिक्किम में एमएसएमई का संवर्धन " स्कीम के अंतर्गत, लघु प्रौद्योगिकी केंद्रों, औद्योगिक संपदा, फ्लैटेड फैक्ट्री परिसरों की स्थापना/उन्नयन और पर्यटन क्षेत्र में कार्यरत एमएसएमई के लिए सामान्य सुविधाओं के लिए पूर्वोत्तर राज्य सरकार की एजेंसियों/संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। अब तक, दिनांक 26.10.2023 को आयोजित 10वीं परियोजना मूल्यांकन और निगरानी समिति (पीएएमसी) की बैठक में वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कार्बी जिला आंगलोंग, असम में "इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फैसिलिटीज एंड अपग्रेडेशन इन द इग्ज़िस्टिंग कॉम्प्लेक्स, माँजा इन्डसट्रिअल कॉम्प्लेक्स, माँजा, डिस्ट्रिक्ट कार्बी आंगलोंग, असम" नामक एक परियोजना को अनुमोदित किया गया है तथा यह परियोजना कार्यान्वयणाधीन है। अनुमोदित कुल परियोजना लागत 10.00 करोड़ रुपये है, जिसमें भारत सरकार का अनुदान 9.00 करोड़ रुपये और राज्य सरकार का हिस्सा 1.00 करोड़ रुपये है।

II. एमएसएमई कार्य-निष्पादन का उत्थान और गतिवर्धन (रैम्प) कार्यक्रम के अंतर्गत जागरूकता और कौशल विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

III. जेड प्रमाणन स्कीम के अंतर्गत, असम के दीमा हसाओ जिले में 3 इकाइयाँ पंजीकृत हैं और कार्बी आंगलोंग जिले में 30 इकाइयाँ पंजीकृत हैं (जिसमें 2 इकाइयाँ सफलतापूर्वक कांस्य प्रमाणित हैं)।

IV. असम सरकार, उद्योग और वाणिज्य आयुक्त का कार्यालय ने बताया है कि, कार्बी आंगलोंग जिले में विनिर्माण एमएसएमई को सहायता देने से संबंधित 7 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिन्हें मंजूरी दे दी गई है।

****